संख्या- 3 /2016/ 91/2016/57-2016-51(जी)/2013 टीसी-2

प्रेषक,

श्री नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उ0 प्र0 पर्यटन निदेशालय,
लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ दिनांक: 1 फरवरी, 2016

विषय: भारतीय रेल के आई0आर0सी0टी0सी0 के सहयोग से प्रदेश के 857 वरिष्ठ नागरिकों को जगन्नाथपुरी की नि:शुल्क यात्रा कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन की विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या- 1/2016/48/2016/57-2016-51(जी)/2013 दिनांक: 19 जनवरी, 2016 एवं तदविषयक प्रबंधक, पर्यटन आई0आर0सी0टी0सी0, लखनऊ के पत्र संख्या- आई0आर0सी0टी0सी0/आरओ/एल0के0ओ0/2016/वी0एन0एस0टी0, दिनांक-28-01-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में आई0आर0सी0टी0सी0 के सहयोग से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को जगन्नाथपुरी की नि:शुल्क यात्रा कराये जाने हेतु कुल रू0-1,03,86,840/-(रू0 एक करोड़ तीन लाख, छियासी हजार आठ सौ चालीस मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखाशीर्षक-2250- अन्य सामाजिक सेवायें-101-धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये दान-05- प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क तीर्थ यात्रा-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा प्रदत्त आदेश संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30-03-2015 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

संख्या- 3/2016/91(1)/2016/57-2016-51(जी)/2013 टीसी-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद, उ0 प्र0।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0 प्र0 शासन।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, आई0आर0सी0टी0सी0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ0 प्र0 शासन।
6- विभागीय आदेश पुस्तिका।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
बाबूलाल श्रीवास
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।